## न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

## निगरानी / टी.ए. / 2006 / 6650 / नागौर

कुम्भाराम पुत्र श्री हिम्मतराम जाति जाट, निवासी जायल, तहसील जायल, जिला नागौर

.....अपीलार्थी

**बनाम**

1. सदासुख
2. भोमाराम
3. मोहनलाल
4. राधाकिशन

समस्त पिसरान पुरणाराम जाति मालि, निवासी झालरा बास डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर

**.....रेस्पोडेन्ट्स**

## एकल पीठ

**श्री नत्थूराम सदस्य**

**उपस्थित**

श्री दुनीचंद डिढारिया अपीलार्थी
श्री आर.के.गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4

## निर्णय

**दिनांक : 24–6–2019**

1. यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर (जिसे आगे **''प्रथम अपीलीय प्राधिकारी''** कहा जायेगा) के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2006 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे **''काश्तकारी अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से एक वाद सहायक कलक्टर, डीडवाना (जिसे आगे **"विचारण न्यायालय"** कहा जायेगा) के समक्ष एक वाद आराजी खसरा नम्बर 1357 सरहद डीडवाना के बाबत् प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है तथा वादीगण ने सम्पूर्ण खेत की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी ने भी कांउटर क्लेम में उसके 1/3 हिस्से का बटवारा चाहा है परन्तु विवादित भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है अतः वादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे इसमें कोई पक्का निर्माण कार्य ना करें। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 24.07.2006 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जिसके विरूद्व वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 24.07.2006 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की गई तथा मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर अपूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण करने की सीमा तक अपीलाधीन आदेश निरस्त किया गया तथा इसके अलावा निर्माण कार्य नहीं करने एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी/प्रतिवादी कुम्भाराम द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर कोई विचार नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय ने मौके की स्थिति में परिवर्तन की अनुमति दी है जो विधिसम्मत नहीं है। निर्णय में विरोधाभास है।

इन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

5. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी/प्रतिवादी का कोई काउंटर क्लेम नहीं था जिससे उसका प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का पूर्व में प्रस्तुत वाद खारिज हो गया था जिससे रेस्ज्यूडिकेटा से बाधित है। अपीलीय न्यायालय ने मात्र अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अनुमति दी है जो विधिसम्मत है। इन्होंने निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है।

7. प्रकरण में अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से एक वाद विचारण न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 1357 सरहद डीडवाना के बाबत् प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है तथा वादीगण ने सम्पूर्ण खेत की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी ने भी कांउटर क्लेम में उसके 1/3 हिस्से का बटवारा चाहा है परन्तु विवादित भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है अतः वादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे इसमें कोई पक्का निर्माण कार्य ना करें। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 24.07.2006 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जिसके विरूद्व वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 24.07.2006 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की गई तथा मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर अपूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण करने की सीमा तक अपीलाधीन आदेश निरस्त किया गया तथा इसके अलावा निर्माण कार्य नहीं करने एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने

का आदेश पारित किया जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी / प्रतिवादी कुम्भाराम द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

8. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निगरानीधीन आदेश के द्वारा मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर अपूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण करने की हद तक विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है तथा अन्य तरह के निर्माण कार्य नहीं करने एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है तथा साथ यह भी आदेश दिया है कि अप्रार्थीगण इस आशय की अन्डरटेकिंग मय शपथ पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे कि अगर विवादित निर्माण स्थल की आराजी कांउटर क्लेम में स्वीकार होती है व प्रार्थी के हिस्से में आती है तो वे निर्माण के आधार पर कोई क्लेम नहीं करेंगे। प्रस्तुत निगरानी में उपरोक्त आदेश जो 24.07.2006 को पारित किया गया है तथा इसके विरूद्व किसी प्रकार का स्थगन भी जारी नहीं हुआ है। प्रथम तो इतनी अवधि में अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना के कारण यह आदेश प्रभावशून्य है। यदि गुण दोष पर भी विचार किया जावे तो प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की है व इस हेतु उचित शर्ते भी लगाई है तथा अन्य नया निर्माण कार्य नहीं करने व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये है। योग्य अपीलीय न्यायालय ने न्यायोचित एवं विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

**(नत्थूराम)**
**सदस्य**